कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा म.प्र.
कमरा नं0-3, द्वितीय तल, कलेक्ट्रेट परिसर-रीवा म.प्र.
E-Mail ID Rewa@mptownplan.gov.in

क्रमांक 678 /नग्रानि/स्था0/2024 रीवा,दिनांक....10../06/2024

विज्ञप्ति

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा पता-कलेक्ट्रेट परिसर रीवा, (म.प्र) के कार्यालय की परिवहन व्यवस्था के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु सीलबंद लिफाफे मे निविदा आंमत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाताओं के दिनांक 21.06.2024 सायं 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे निविदा जमा की जावेगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की समस्त शर्ते तथा अन्य जानकारी किसी भी दिन कार्यालयीन समय मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे रूपये 200.00 (शब्दो मे दो सौ रूपये मात्र) ई-चालान साईबर ट्रेजरी शीर्ष क्रमांक 0217-60-800-0171 अन्य प्राप्तियो मे जमा कर प्राप्त की जा सकती है। वाहन किराये पर लेने हेतु शर्ते संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल की Website:Mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय रीवा म0प्र0

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा म.प्र.
कमरा नं0-3, द्वितीय तल, कलेक्ट्रेट परिसर-रीवा म.प्र.

E-Mail ID Rewa@mptownplan.gov.in

क्रमांक 678 /नग्रानि/स्था0/2024 रीवा,दिनांक 10/06/2024

प्रति,

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
बाणगंगा रोड रोशनपुरा चौराहा,
टी.टी. नगर के पास भोपाल (म.प्र)

विषयः- निविदा सूचना के प्रकाशन के संबंध मे।

संदर्भः- संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/5404/नग्रानि/सा./2022 भोपाल, दिनांक 19.12.2022।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि कार्यालय मे परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहन किराये पर लिया जाना है। कृपया संलग्न निविदा सूचना रीवा नगर के दो स्थानीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय रीवा म0प्र0

पृ0क्र0 /नग्रानि/स्था0/2024 रीवा,दिनांक......../06/2024

1. संयुक्त संचालक (आई.टी.) संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,म.प्र. भोपाल की ओर सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवाने, किन्ही दो स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रो मे प्रकाशित कराने तथा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना एवं शर्ते।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय रीवा म0प्र0

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा म.प्र.
कमरा नं0 3, द्वितीय तल, कलेक्ट्रट परिसर-रीवा म.प्र.

वाहन किराये पर लेने हेतु शर्ते-

1 वाहन किराये पर देने हेतु अनुबंध के साथ रूपये 5000/- की प्रतिभूति एफ.डी/किसान विकास पत्र इंदिरा विकास पत्र के रूप मे कार्यालय मे जमा करना होगी। अनुबंध पूर्ण होने पर यह वापिस लौटा दी जाएगी। लेकिन शर्तो का उल्लघन होने पर यह राशि जब्त कर ली जाएगी ।

2. यह अनुबंध ग्यारह माह के लिये मान्य होगा एव उसे अधिकतम तीन वर्ष तक कार्यालय प्रमुख द्वारा बढाया भी जा सकता है।

3. परिवहन नियमो का उल्लघन कर वाहनो के संचालन या किसी वाहन दुघटनागस्त होने जैसी वैधानिक स्थितियो मे किसी भी प्रकार के जुर्माने की राशि भरने या अन्य कोई कार्यवाही होने के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।

4. वाहन म.प राज्य मे आर.टी.ओ कार्यालय मे टेक्सी कोटे मे पंजीकृत होनी चाहिए। वाहनो के स्वामित्व के संबंध मे किसी भी प्रकार का विवाद नही होना चाहिए। वाहन की नम्बर प्लेट स्पष्ट एव परिवहन विभाग के निर्देशो के अनुरूप होना आवश्यक है।

5. विभाग के नाम की प्लेट, रैगजिन कवर दुरूस्त हालत मे लगाना आवश्यक है।

6. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी मे होगा एव उसके पास स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसपर किसी भी प्रकार का अपराधिक मामला दर्ज नही होना चाहिए।

7. यात्रा मे वाहन दुर्गम स्थानो पर भी ले जाया जा सकेगा। वाहन चालक का कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता के आदेश का पालन करें।

8. आकस्मिक रूप से वाहन रास्ते मे खराब होने पर गैराज पहुचाने एव दो घंटे मे दुरूस्त कराकर पुन: उपलब्ध कराना होगा।

9. अनुबंध अवधि के दौरान यदि पेट्रोल/ डीजल के दामो मे वृद्धि होती है तो निविदा मे दी गयी राशि के अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी।

10. वाहन पूरे माह के लिये हर दिन बिना किसी अवकाश के प्रदान करना होगा। रात को वाहन सेवा अवधि मे वाहन कार्यालय मे रहेगा तथा वाहन खराब होने अथवा मरम्मत के लिये ले जाने की स्थिति मे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे उसी मॉडल का दूसरा वाहन उपलब्ध कराये जाने पर ही वाहन को छोडा जाएगा। वाहन मरम्मत का संपूर्ण व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस पर कार्यालय कोई अतिरिक्त राशि नही देगा।

11. वाहनो के किलोमीटर की गणना संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा विधिवत रूप से भरी गई लॉगबुक मे हस्ताक्षर उपरांत ही मान्य होगी।

12. सभी वाहनो का कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा, प्रदूषण मानक प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉमर्शियल उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस/ प्रमाण पत्र, रोड टेक्स, सर्विस टेक्स अदा करने उसे अद्यतन रखने की जिम्मेदारी एजेंसी/ ट्रेवल्स/ वाहन स्वामी की होगी। बीमा/ लाईसेंस अवधि समाप्त होने की स्थिति मे 7 दिवस पूर्व अवधि बढाने का दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

13. वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा तथा उसकी एक छायाप्रति कार्यालय मे जमा करनी होगी।

14. यदि किसी विशेष कारण से वाहन अथवा चालक उपलब्ध नही होता तो ऐसे हर दिवस की अनुपलब्धता के लिये देय राशि मे से दोगुना प्रतिदिन की राशि निकाल कर उसकी कटौत्री कर दी जावेगी, लेकिन पुनरावृति होने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबंध को निरस्त कर दिया जाएगा।

15. वाहन मे हमेशा टूल्स एवं स्टेपनी आवश्यक है। वाहन हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए एवं वाहन के चारो टायर टयूब अच्छी क्वालिटी व सुरक्षा के मानक के अनुसार होना चाहिए। वाहन के संपूर्ण रख-रखाव/ दुरूस्त रखने का दायित्व वाहन मालिक का होगा।

16. वाहन किराये पर लेने हेतु तय नियमो एवं शर्तो मे संशोधन का अधिकार कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा का होगा।

17. किसी भी विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन कार्यक्षेत्र रीवा माना जाएगा।

18. निविदा के साथ उपरोक्त वर्णित नियम एवं शर्ते वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होंगे।

19. निविदा के साथ रूपये 2000/- (शब्दो मे:- दौ हजार मात्र) का बैंक ड्राफट या नगद कार्यालय मे जमा करना होगा जो निविदा खुलने पर लौटायी जावेगी।

20. कार्य क्षेत्र संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र., भोपाल द्वारा निर्देशित रहेगा, जिसके लिये वाहन किराये पर लिया जा रहा है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय रीवा म.प्र.